लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3631

17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम (जेपीएमए)

3631. श्री सुदामा प्रसाद:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम (जेपीएमए), जूट और वस्त्र नियंत्रण आदेश (जेटीसीओ) तथा जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के अनुसार खाद्यान्नों और चीनी को जूट के थैलों में पैक किया जाता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जूट के अच्छे उत्पादन के बावजूद जूट की मांग में कमी की जानकारी है और यदि हां तो मांग में कमी के मुद्दे का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या मांग में कमी के कारण कामगारों और उद्योग पर निर्भर रहने वाले लोगों की आजीविका का काफी नुकसान हुआ है और इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार को खाद्यान्नों और चीनी के लिए अनिवार्य जूट पैकेजिंग के उल्लंघन की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन व्यक्तिगत शिकायतों के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और उक्त अवधि के दौरान कितना जुर्माना वसूला गया है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम (जेपीएमए), 1987 के प्रावधानों के तहत सरकार ने उन वस्तुओं की पहचान की है और यह भी कि उन्हें किस सीमा तक अनिवार्य रूप से जूट पैकेजिंग सामग्री में पैक किया जाना चाहिए। पिछले छह वर्षों से जूट की बोरियों में 100% खाद्यान्न और 20% चीनी की पैकिंग का नियम लागू है।

(ख) और (ग): जूट एवं वस्त्र नियंत्रण आदेश (जेटीसीओ) तथा जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) सहित विभिन्न राज्य खरीद एजेंसियां (एसपीए) प्रतिवर्ष खाद्यान्न पैकिंग के लिए जूट की बोरियां खरीदती हैं। वर्तमान में कुल खरीद जूट वस्तुओं के कुल उत्पादन का लगभग 81% है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, विभिन्न एसपीए तथा एफसीआई द्वारा जूट की बोरियों की क्रमशः 26.49 लाख गांठें, 34.81 लाख गांठें तथा 36.30 लाख गांठें खरीदी गई हैं। इसलिए, जूट की बोरियों की मांग में कोई कमी नहीं है। इसके अलावा, जूट कामगारों की नौकरी जाने की कोई घटना इस कार्यालय को रिपोर्ट नहीं की गई है।

(घ) और (ङ): पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय को खाद्यान्नों और चीनी के लिए अनिवार्य जूट पैकेजिंग करने के नियम का किसी विशेष निकाय द्वारा उल्लंघन की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

***